16.1.2025. वकील श्री ने प्रार्थना-पत्र निरस्त पेशी पेश करने पर प्रस्तावित की पेशी में लिया गया। वकील श्री ने निवेदन कि वाद-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में वापिस करवाना चाहते हैं। अतः वाद-पत्र मौजूदा स्थिति में वापिस किया जाता है। प्रतिवादी गण के नाम की जारी कार्य तत्काल वकील उचित दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.23 12:57:38 IST
Reason: SelfAttested